उप-उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य इस प्रकार है–

1. वह यथा आवश्यकता राष्ट्रपति को सहयोग देता है।
2. यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या गम्भीर रूप में अस्वस्थ होने के कारण राष्ट्रपति कार्य न कर सकें या ऐसी कोई अन्य परिस्थिति हो तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
3. वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र को स्वीकार कर सकता है।
4. वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष है। इसी नाते उसे वेतन प्राप्त होता है। उप-राष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है।
5. वह उस कमेटी का सदस्य है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।

मन्त्रिपरिषद् व प्रधानमन्त्री
(Council of Ministers and Prime Minister)

अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को अपने कार्यों के करने में परामर्श एवं सहायता के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होगा। राष्ट्रपति उसी परामर्शानुसार कार्य करेगा, लेकिन वह किसी मामले को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस विषय की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकेगी। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के संगठन और कार्य संचालन के स्वरूप के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है–

1. राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करेगा और वह प्रधानमन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा।
2. प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। (यह व्यवस्था सन् 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है)
3. किसी दलबदलू को मन्त्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
4. मन्त्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।
5. मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
6. किसी मन्त्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेगा।
7. कोई मन्त्री, जो निरन्तर 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य न हो, उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा।
8. मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जो समय-समय पर संसद की विधि या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होंगे।

अनुच्छेद 78 में प्रधानमन्त्री के दायित्वों की व्यवस्था की गयी है।

1. मन्त्रिपरिषद् के संघ के प्रशासन सम्बन्धी सभी निर्णयों व विधायन के प्रस्तावों को राष्ट्रपति तक पहुँचाना।
2. राष्ट्रपति के कहने पर संघ के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों तथा विधायन के प्रस्तावों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना।
3. किसी विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने निर्णय ले लिया हो लेकिन मन्त्रिपरिषद् ने विचार न किया हो, राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मन्त्रिपरिषद् के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करना।

प्रधानमन्त्री के प्रमुख कार्य व उसकी स्थिति
(Functions and Position of the Prime Minister)

1. वह अपने मन्त्रिपरिषद् के स्थायित्व की आधारशिला है।
2. वह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता है।
3. वह राष्ट्रपति एवं मन्त्रिपरिषद् को जोड़ने वाली कड़ी है।
4. वह संसद व मन्त्रिपरिषद् को जोड़ने वाली कड़ी है।
5. वह अपने मन्त्रियों के विभागों का वितरण करता है तथा उनमें समन्वय बनाये रखता है।
6. वह किसी मन्त्री से त्यागपत्र माँग सकता है या राष्ट्रपति को उसे हटाने का परामर्श दे सकता है।
7. वह मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष है, उसकी बैठक बुलाता है तथा उसके निर्णयों को लागू करता है।
8. वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
9. वह अनेक निकायों; जैसे योजना आयोग व अन्तर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है।
10. वह किसी समय अपना त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है।

नोट : अब उप-मन्त्रियों को राज्य-स्तर का मन्त्री कहा जाता है।

Scanned with CamScanner

भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री
(Presidents, Vice-Presidents and Prime Ministers of India)

राष्ट्रपति	उप-राष्ट्रपति	प्रधानमन्त्री
1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1. डॉ. राधाकृणन	1. जवाहर लाल नेहरू
2. डॉ. राधाकृष्णन	2. डॉ. जाकिर हुसैन	2. गुलजारी लाल नन्दा (कार्यवाहक)
3. डॉ. जाकिर हुसैन	3. वी. वी. गिरी	3. लाल बहादुर शास्त्री
4. वी. वी. गिरी	4. गोपाल स्वरूप पाठक	4. गुलजारी लाल नन्दा (कार्यवाहक)
5. फखरुद्दीन अली अहमद	5. बी. डी. जत्ती	5. इन्दिरा गाँधी
6. नीलम संजीव रेड्डी	6. मुहम्मद हिदायतुल्लाह	6. मोरारजी देसाई
7. ज्ञानी जैल सिंह	7. आर. वेंकटरमण	7. चौधरी चरण सिंह
8. आर. वेंकटरमण	8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	8. इन्दिरा गाँधी
9. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	9. के. आर. नारायणन	9. राजीव गाँधी
10. के. आर. नारायणन	10. कृष्णकान्त	10. वी. पी. सिंह
11. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	11. भैरोंसिंह शेखावत	11. चन्द्र शेखर
12. प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	12. हामिद अंसारी	12. पी. वी. नरसिंह राव
13. प्रणब मुखर्जी	13. वेंकैया नायडू	13. अटल बिहारी वाजपेयी
14. श्री रामनाथ कोविंद		14. एच. डी. देवगौड़ा
		15. इन्द्र कुमार गुजराल
		16. अटल बिहारी वाजपेयी
		17. डॉ. मनमोहन सिंह
		18. नरेन्द्र भाई दामोदरदास मोदी

नोट : यदि प्रधानमन्त्री चाहे तो किसी मंत्री को उप-प्रधानमन्त्री बना सकता है जैसे नेहरू के समय में सरदार वल्लभभाई पटेल (1947-50), इन्दिरा गाँधी के समय में मोरारजी देसाई (1967-69), मोरारजी के समय में जगजीवन राम व चरण सिंह (1977-79), वी.पी. सिंह के समय में देवी लाल (1989-90), अटल बिहारी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी (1999-2004)।

राष्ट्रपति लोकसभा में बहुत मत वाले दल या बहुमत बनाने वाले दलों के नेता को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त करता है। पहले दल द्वारा चयन होता है, तदोपरान्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन्दिरा गाँधी व राजीव गाँधी को प्रधानमन्त्री बनाया गया क्योंकि वे काँग्रेस संसदीय दल के नेता थे। लेकिन गठबन्धन सरकार में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सरकार बनाने को आमन्त्रित करते हैं जो बहुमत बनाने वाले दलों का सांझा नेता हो। साथ ही, राष्ट्रपति उस प्रधानमन्त्री को निर्देश देते हैं कि वह निश्चित अवधि के भीतर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त कर ले। चूँकि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए मात्र 13 दिन बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और तब देवगौड़ा प्रधानमन्त्री बने। लेकिन 1998 व 1999 में वाजपेयी को लोकसभा का विश्वास मत मिल गया जिससे वह इस पद पर बने रहे। यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में विशालतम दल के नेता को आमन्त्रित करके प्रधानमन्त्री बनाये जैसा 1989 में वी. पी. सिंह तथा 1991 में नरसिंहराव के साथ हुआ किन्तु निश्चित अवधि के भीतर उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो जाना चाहिए। 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने।

Scanned with CamScanner

कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य (Some Important Statements)

- प्रधानमन्त्री कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला है। —लॉर्ड मोर्ले (Lord Morly)
- प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के जीवन व उसकी मृत्यु का केन्द्र बिन्दु है। —एच. जे. लास्की (H.J. Laski)
- कार्यपालिका का अध्यक्ष, मुख्य विधायक व मुख्य प्रशासक के रूप में, प्रधानमन्त्री बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। जिन तरीकों से वह अपनी स्थिति को बनाये रखता है और जिस सफलता से वह अपने दायित्व अन्य मन्त्रियों को सौंपता है, उसी पर सब कुछ निर्भर होता है। —डी. वी. वरनी (D.V. Verney)
- प्रधानमन्त्री तो प्रधानमन्त्री है, वह सरकार की नीति का निर्धारण कर सकता है। वह शासन का केन्द्र बिन्दु है। —जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru)

प्रधानमन्त्री का सबसे प्रथम व सबसे कठिन कार्य अपने मन्त्रिपरिषद् का गठन करना है। मन्त्रियों के नामों का चयन व विभागों का वितरण प्रधानमन्त्री के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति एक प्रावैधानिक औपचारिकता है। वास्तव में, राष्ट्रपति यदि अपने पद की मर्यादा व उस पर लगाये लांछनों से बचना चाहता है तो उसे प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तुत मन्त्रियों व उसके विभागों की सूची को स्वीकार करना चाहिए।

मन्त्रिपरिषद् का गठन राजनीतिक समजातीयता के आधार पर निर्भर है। सभी प्रकार की प्रतिभाओं से युक्त मन्त्रिपरिषद् का होना असम्भव है। कुछ मन्त्री तो किन्हीं विभागों के लिए अपने को उपयुक्त समझते हैं और ऐसा दावा भी करते हैं तथा प्रधानमन्त्री इस राजनीतिक तथ्य से परिचित होने के कारण कि उनका विरोध असन्तोष को जन्म दे सकता है उन दावों पर गम्भीरता से विचार भी करते हैं। अस्तु, अपने मन्त्रियों के चयन व पदों के वितरण के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री के पास विवेकसम्मत सत्ता है परन्तु उपरोक्त राजनीतिक तथ्यों के सन्दर्भ में ऐसे अधिकार अनियन्त्रित नहीं होते हैं।

यह सच है कि इस तरह की परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री की विवेकसम्मत शक्ति नाममात्र की है, फिर भी वृहद् सन्दर्भों में यह कहा जा सकता है कि जबकि प्रधानमन्त्री को अपने वरिष्ठ सहयोगियों के चयन व पद वितरण में नियन्त्रित स्वतन्त्रता है, उसे अपने अन्य सहयोगियों व उनके बीच विभागों के वितरण में विपुल स्वतन्त्रता है।

यदि प्रधानमन्त्री को अपने मन्त्रिपरिषद् बनाने का विशेषाधिकार है तो उसे पूरक अधिकार के रूप में राजनीतिक स्थितियों के अनुसार उसे परिवर्तित करने का भी अधिकार है। प्रभावी व कुशल प्रशासन के हित में वह अपने किसी सहयोगी को नियुक्त करके मन्त्रिमण्डल में फेरबदल करने या किसी मन्त्री को विमुक्त करने का निर्विवाद अधिकार रखता है। वह किसी विभाग को अपने नियन्त्रण के अधीन रख सकता है, उसे विभाजित कर या किसी अन्य मन्त्री को दे सकता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी मन्त्री का त्यागपत्र माँग सकता है, या राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि अमुक मन्त्री को निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि उस मन्त्री ने उसका विश्वास खो दिया है। उपर्युक्त सभी प्रावधान सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रभावी बनाने के लिए हैं। लेकिन गठबन्धन सरकार में प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। उसे गठबन्धन बनाने वाले दलों की समन्वय समिति (Co-ordination Committee) के नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। इस समिति का अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद् में शामिल नहीं होता जैसे—वाजपेयी के समय में तेलुगु देशम पार्टी के चन्द्रबाबू नायडू तथा मनमोहन सिंह के समय में श्रीमती सोनिया गाँधी। इस समन्वय समिति के निर्देशों के अनुसार कैबिनेट अपना निर्णय लेती है तथा उनका क्रियान्वयन करती है। एक अर्थ में यह व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल है क्योंकि समन्वय समिति के अध्यक्ष को ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो गोपनीयता की शपथ लिए हुए मन्त्रियों को नहीं देनी चाहिए।

प्रधानमन्त्री की शक्तियों व कार्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. वह अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है, मन्त्रियों के विभागों को वितरित करता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है तथा किसी मन्त्री से त्यागपत्र माँग सकता है।
2. वह राष्ट्रपति व मन्त्रियों के बीच एक कड़ी है। इसलिए वह राष्ट्रपति को अपने मन्त्रियों के विचार से अवगत कराता है तथा राष्ट्रपति के विचार अपने मन्त्रियों को प्रेषित करता है।
3. वह अपने मन्त्रियों व संसद के बीच एक कड़ी है। यदि संसद में किसी मन्त्री पर घोर प्रहार होता है तो वह उसकी रक्षा करता है।

Scanned with CamScanner

4. वह अपने मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष है। अतः वह किसी समय कैबिनेट की बैठक बुला सकता है। कैबिनेट के निर्णयों को लागू करना उसका काम है।

5. यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये या लोकसभा में उसका बहुमत न रहे तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उसका त्यागपत्र सभी मन्त्रियों का त्यागपत्र माना जाता है।

6. वह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी सरकार व अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।

7. वह अपने दल का नेता है। इस नाते वह अपने दल के मन्त्रियों को अनुशासन में रखता है। यदि कोई मन्त्री दल-विरोधी कार्य करता है तो प्रधानमन्त्री उससे त्यागपत्र माँग सकता है।

8. गठबन्धन सरकार में उसका कार्य सभी घटकों के बीच तालमेल बनाये रखना है ताकि मिली-जुली सरकार बनी रहे।

9. वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि लोकसभा को भंग करके नया चुनाव कराया जाये।

रैम्जे म्योर (Ramsay Muir) कहते हैं कि **वह अपने राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष है।** ऐसे वक्तव्य भारत के प्रधानमन्त्री की स्थिति पर लागू होते हैं।

Scanned with CamScanner